शिविर कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

पत्रांक 3544/ओएसडी/डीएम–कानपुर/कोविड–19/2020 दिनांक : 06–04–2020

कार्यालय आदेश

कोविड–19 (कोरोना वायरस) से संकमित मरीजों की संख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखते कार्यालय आदेश संख्या–3539/ओएसडी–डीएम–कानपुर/2020/कोविड–19 दिनांक 05–04–2020 के द्वारा जनपद में दिनांक 07–04–2020 से कतिपय शर्तो के अधीन पूर्णतया लॉकडाउन करने के आदेश निर्गत किये गये हैं। इसको लेकर कोरोना वायरस की रोकथाम में विभिन्न विभागों के लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाओं यथा–जिला प्रशासन, विद्युत विभाग, दूरसंचार, डाक विभाग, बैंक, इन्श्योरेन्स, स्वास्थ्य विभाग (सरकारी अस्पताल एवं प्राइवेट नर्सिंग होम) नगर निगम, कोषागार, विकास विभाग, पंचायत विभाग, आपूर्ति विभाग, जलकल विभाग, खाद्य एंव औषधि विभाग, प्राधिकरण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन के प्रति भ्रान्ति उत्पन्न होने के दृष्टिगत निम्नवत् आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1. आवश्यक सेवाओं यथा–जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, दूरसंचार, डाक विभाग, बैंक, इन्श्योरेन्स, स्वास्थ्य विभाग (सरकारी अस्पताल एवं प्राइवेट नर्सिंग होम) नगर निगम, कोषागार, विकास विभाग, पंचायत विभाग, आपूर्ति विभाग, जलकल विभाग, खाद्य एंव औषधि विभाग, प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने विभागीय परिचय पत्र अथवा आई0डी0 दिखाकर अपने वाहनों से ड्यूटी पर जा सकेंगें।
2. प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मी प्रेस के पहचान पत्र के साथ कवरेज हेतु लॉकडाउन अवधि में प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगें।
3. सभी सरकारी एवं प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्सेज एवं नर्सिंग होम का स्टाफ भी उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे किन्तु वह अपने विभाग, नर्सिंग होम का पहचान पत्र लेकर चलेंगें। डाक्टरों के आई0एम0ए0 के द्वारा निर्गत पहचान पत्र भी मान्य होंगे।
4. आवश्यक वस्तुओं की दुकानों एवं स्टोर्स से होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी भी उक्त लॉकडाउन से मुक्त रहेंगें।
5. रसोईगैस की होम डिलीवरी में लगे कर्मचारी गैस की होम डिलीवरी कर सकेंगें।
6. दूध आपूर्ति करने वाली कम्पनी/डेरी अपने स्टॉक होल्डर को दूध की आपूर्ति अपने वाहनों से कर सकेंगी।
7. सिविल डिफेन्स के वालण्टियर/कर्मियों को आवागमन में छूट होगी।
8. भोजन वितरण में लगे स्वयं सेवी संगठन संबंधित सचिव, के0डी0ए0 अथवा क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट या संबंधित थानाध्यक्ष के सहयोग से वितरण करा सकेंगें।
9. सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्णतया पालन किया जायेगा एवं पूर्व पारित आदेश के अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेगी।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल कानपुर को सादर सूचनार्थ।
2–डी0आई0जी0/एस0एस0पी0 कानपुर नगर को इस अनुरोध से कि अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3–नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
4–मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
5–समस्त अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर।
6–नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, कानपुर नगर।
7–नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
7–उप निदेशक, सूचना, कानपुर नगर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

Scanned